पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2017 ई0 (फाल्गुन 13, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–09

फार्म नं0 4

(नियम 8 देखिये)

1–प्रकाशन	:	रुड़की।
2–प्रकाशन की अवधि	:	साप्ताहिक।
3–मुद्रक का नाम	:	अपर निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
पता	:	अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।
4–प्रकाशक का नाम	:	अपर निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
5–सम्पादक का नाम	:	उत्तराखण्ड शासन।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
पता	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6–उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार–पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझीदार हों।	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मैं, एस0 के0 गुप्ता, अपर निदेशक एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)
एस0 के0 गुप्ता,
अपर निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड,
रुड़की।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	197–204	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	59–70	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	31–32	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–1

अधिसूचना/प्रकीर्ण

09 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 913/XV–1/16/2(14)/06–श्री राज्यपाल महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट सेवा नियमावली, 2010 में अग्रेत्तर संशोधन करने के दृष्टिगत निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम–2(क) एवं परिशिष्ट का संशोधन :

उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट सेवा नियमावली, 2010 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 2(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रखा जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 *वर्तमान नियम*		स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*	
2(क)	"नियुक्ति प्राधिकारी" से पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट एवं मुख्य पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट के पदों के संबंध में "निदेशक" अभिप्रेत है।	2(क)	"नियुक्ति प्राधिकारी" से– (1) पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट के पद के संबंध में "निदेशक" अभिप्रेत है; (2) मुख्य पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट के पद के संबंध में "राज्यपाल" अभिप्रेत हैं।

परिशिष्ट

नियम 3 का उपनियम (2) और नियम 20 का उपनियम (2) देखें।

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (₹ में)	पद संख्या
1.	पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट	93,00–34,800, ग्रेड पे ₹ 4,200	320
2.	मुख्य पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट	15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400	26

अधिसूचना / प्रकीर्ण

19 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1010 / XV–1 / 16 / 7(11) / 14–पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियन्त्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27) की धारा 43 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम (जाँच चौकी, निरीक्षण विधि, परमिट एवं प्रवेश के प्रारूप, जाँच चौकियों में निषेध की अवधि आदि) नियमावली, 2016

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम (जाँच चौकी, निरीक्षण के तरीके, परमिट एवं प्रवेश के प्रारूप, जाँच चौकियों / में निरोध की अवधि अन्य) नियमावली, 2016" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह नियमावली सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :

(अ) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(i) 'अधिनियम' का तात्पर्य "पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियन्त्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009" से है;

(ii) 'धारा' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(iii) 'प्रारूप' का तात्पर्य उन प्रारूपों से है, जो इस नियमावली के साथ संलग्न हैं;

(iv) 'निदेशक' का तात्पर्य निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड से है;

(v) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल महोदय से है;

(vi) 'सक्षम अधिकारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 17 के द्वारा संसूचित किया गया हो।

(ब) नियमावली में प्रयोग किये गये शब्द एवं वाक्य, जो नियमावली में परिभाषित नहीं हैं, का तात्पर्य अधिनियम में परिभाषित शब्दों से है।

3. निरीक्षण की विधि तथा जाँच चौकियों/संगरोध केन्द्र में निषेध की अवधि :

(अ) पशुओं में अधिसूचित रोगों का पता लगाने के उद्देश्य से, उन्हें जाँच चौकियों में निरोध किया जायेगा एवं इसकी रिपोर्ट जाँच चौकी प्रभारी/पशुचिकित्साधिकारी, संगरोध केन्द्र द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच कर दर्ज की जायेगीः–

(i) गति एवं चाल,

(ii) पशु का व्यवहार–सुस्त, उदास अथवा उत्तेजित,

(iii) शरीर के तापमान में वृद्धि,

(iv) मुँह, पैर या थनों में छाले,

(v) नाक, आँख, कान या योनि से अत्यधिक रिसाव/स्त्राव,

(vi) कम्पन एवं पसीना,

(vii) त्वचा की शुष्कता, बालों का झड़ना एवं त्वचा पर चकत्ते आना,

(viii) कमजोरी,

(ix) प्राकृतिक छिद्रों से रक्त का रिसाव,

(x) गलकम्बल/झालर या शरीर के किसी भाग में सूजन,

(xi) अन्य महत्वपूर्ण लक्षण।

(ब) यदि आवश्यक हो, तो प्रभारी, जाँच चौकी/प्रभारी, प्रयोगशाला, संगरोध केन्द्र जाँच हेतु आवश्यक नमूने भी एकत्र करेगा।

(स) प्रभारी, जाँच चौकी/प्रभारी, संगरोध केन्द्र द्वारा पशुओं की जाँच, अनिवार्य टीकाकरण, पहचान, चिन्हीकरण आदि हेतु पशुओं को 12 घन्टे से अधिक नहीं रोका जायेगा। जिन पशुओं का टीकाकरण जाँच चौकी पर किया जायेगा, उन्हें टीकाकरण प्रमाण–पत्र अधिनियम की धारा 9 के प्राविधानों के अनुरूप देना अनिवार्य होगा।

(द) पशु की जाँचोपरान्त, जाँच चौकी, प्रभारी द्वारा पशुओं को अधिसूचित/नियंत्रित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति निर्धारित प्रवेश–पत्र पर दी जायेगी या फिर उन्हें संगरोध केन्द्र ले जाया जायेगा।

(य) जाँच, टीकाकरण, कान टैगिंग तथा दाने एवं चारे एवं जाँच चौकी पर होने वाली किसी भी गतिविधि पर होने वाला व्यय, निदेशक द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा, जो कि पशुस्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

4. प्रभारी अधिकारी, जाँच चौकी/संगरोध केन्द्र के दायित्व तथा प्रवेश–पत्र का प्रारूप :

(अ) प्रभारी अधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी निम्नलिखित पशुओं को रोकेगाः–

(i) जो किसी अधिसूचित रोग से पीड़ित हो; या

(ii) जो किसी अधिसूचित रोग से ग्रसित हो या किसी अधिसूचित रोग से ग्रसित पशु के सम्पर्क में रहा हो; या

(iii) नियम 3(द) के तहत जाँच चौकी प्रभारी द्वारा परिवहन किये गये पशु; या

(iv) रोग ग्रसित क्षेत्र से निष्कासित पशु प्रजातियाँ, जो अधिनियम की धारा 10 में अधिसूचित हैं, संगरोध केन्द्र में 5 दिन की संगरोध अवधि तक रहेंगी।

(ब) प्रभारी, संगरोध केन्द्र/पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पशुस्वामी को, उन पशुओं की आधिकारिक पावती, जो कि जाँच चौकी में रोके गये हैं, को प्रारूप 'ब', जो कि इस नियमावली के साथ संलग्न हैं, पर निर्गत करेगा।

(स) संगरोध केन्द्र में परीक्षण के दौरान पशुओं के कान में विशेष पहचान संख्या का छल्ला (गोवंशीय, महिष वंशीय भेड़, बकरी एवं सूकर हेतु) तथा ब्रैन्डिग (गर्दभ, अश्व हेतु) द्वारा चिन्हित किया जायेगा। अधिसूचित रोगों हेतु पशुओं की नियमित जाँच की जायेगी; अधिसूचित रोग हेतु टीकाकरण तथा आवश्यकतानुसार उपचार किया जायेगा। यदि पशुओं का टीकाकरण किया जाता है तो पशुस्वामी को टीकाकरण का प्रमाण–पत्र, अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रदत्त करना होगा।

(द) संगरोध केन्द्र में परीक्षण के दौरान पशुओं के रख–रखाव एवं टीकाकरण आदि का व्यय, निदेशक द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा, जो कि पशुस्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

(य) सफल परीक्षण के उपरान्त संगरोध केन्द्र प्रभारी/पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पशुओं को पशुस्वामी को हस्तगत करा दिया जायेगा तथा रिहाई प्रमाण–पत्र प्रारूप 'स', जो कि इस नियमावली के साथ संलग्न है, अपने हस्ताक्षर से निर्गत करना होगा। अधिनियम की धारा 15(2) के तहत यह प्रारूप 'स' प्रवेश–पत्र का काम करेगा।

(र) यदि परीक्षण के दौरान पशु की मृत्यु किसी अधिसूचित रोग से हो जाती है, तो मृत पशु का निस्तारण, पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियन्त्रण तथा रोकथाम (टीकाकरण प्रपत्र का प्रारूप, शव विच्छेदन के तरीके एवं शव का निस्तारण) नियम, 2010 की धारा 5 के तहत किया जायेगा।

5. सुरक्षा :

किसी भी अभिहित अधिकारी या सहवर्गी कर्मी द्वारा इस नियमावली के तहत कार्यवाही करने पर उस पर कोई अभियोजन या कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

6. यदि इस नियमावली की व्याख्या में संदेह/संशय की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड को संदर्भित किया जायेगा तथा उनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रपत्र–अ

पशुपालन विभाग

उत्तराखण्ड सरकार

प्रवेश परमिट

पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 की धारा 15, उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्गत

परमिट संख्या .....

निम्न वर्णित समस्त पशु अधिसूचित अनुसूची रोग.....

.....(रोग का नाम) से आज.....(दिनांक) को मुक्त पाये गये हैं तथा नियंत्रित घोषित/उन्मूलित क्षेत्र (.....क्षेत्र) में प्रवेश/निकास की अनुमति प्रदान की जाती है।

जाँच चौकी

जाँच चौकी का नाम	
पशु स्वामी का नाम व पता (ग्राम, तहसील, जिला, राज्य)	
पशु कहाँ से आये (ग्राम, तहसील, जिला, राज्य)	
पशु का गन्तव्य स्थान (ग्राम, तहसील, जिला, राज्य)	

पशु क्रमांक	पशुओं का विवरण						
	पहचान सं0 (टैग/टैटू/ब्रेन्डिंग सं0)	प्रजाति	नस्ल	लिंग	उम्र	रंग	टीकाकरण प्रमाण–पत्र सं0
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

निर्गत प्रवेश परमिट का विवरण

निर्गत करने की तिथि		हस्ताक्षर	
निर्गत करने का स्थान		निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम	
अधिकृत मोहर		निर्गत करने वाले अधिकारी का पदनाम	

प्रपत्र–ब

पशुपालन विभाग

उत्तराखण्ड सरकार

संगरोध केन्द्र संरक्षण पावती

प्रमाण–पत्र संख्या (अद्वितीय प्रमाण–पत्र सं0).....

निम्नवर्णित समस्त पशुओं को मेरे द्वारा आज.....(दिनांक) को 14 दिन हेतु संरक्षण में लिया गया है।

संगरोध केन्द्र का विवरण							
स्थान :(जाँच चौकी के स्थान का विवरण)							
पशु स्वामी का नाम व पता (ग्राम, तहसील, जिला, राज्य)							
पशु कहाँ से आये (ग्राम, तहसील, जिला, राज्य)							
पशु के पहुँचाने का गन्तव्य स्थान (ग्राम, तहसील, जिला, राज्य)							
पशु क्रमांक	पशुओं का विवरण						
	पहचान सं0 (टैग/टैटू/ब्रेन्डिंग सं0)	प्रजाति	नस्ल	लिंग	उम्र	रंग	टीकाकरण प्रमाण–पत्र सं0
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

संगरोध केन्द्र संरक्षण पावती निर्गत किये जाने का विवरण			
निर्गत करने की तिथि		हस्ताक्षर	
निर्गत करने का स्थान		निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम	
अधिकृत मोहर		निर्गत करने वाले अधिकारी का पदनाम	

प्रपत्र–स

पशुपालन विभाग

उत्तराखण्ड सरकार

संगरोध केन्द्र निस्तारण परमिट

पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 की धारा 43, उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्गत।

परमिट संख्या (अद्वितीय परमिट सं0):.....

संगरोध शिविर संरक्षण पावती संख्या (अद्वितीय सं0)

निम्न वर्णित समस्त पशु अधिसूचित अनुसूची रोग.....

.....(रोग का नाम) से आज.....(दिनांक) को मुक्त पाये गये हैं तथा नियंत्रित घोषित/उन्मूलित क्षेत्र (.....क्षेत्र) में प्रवेश/निकास की अनुमति प्रदान की जाती है।

संगरोध केन्द्र का विवरण			
स्थानः (जाँच चौकी के स्थान का विवरण)			
पशुओं के संगरोध की तिथि	दिनांक.....से	पशुओं के संगरोध की तिथि	दिनांक.....तक

पशु स्वामी का विवरण	
पशु स्वामी का नाम व पता (ग्राम, तहसील, जिला, राज्य)	
पशु कहाँ से आये (ग्राम, तहसील, जिला, राज्य)	
पशु का गन्तव्य स्थान (ग्राम, तहसील, जिला, राज्य)	

पशु क्रमांक	पशुओं का विवरण						
	पहचान सं0 (टैग/टैटू/ब्रेन्डिंग सं0)	प्रजाति	नस्ल	लिंग	उम्र	रंग	टीकाकरण प्रमाण–पत्र सं0
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

संगरोध केन्द्र संरक्षण पावती निर्गत किये जाने का विवरण			
निर्गत करने की तिथि		हस्ताक्षर	
निर्गत करने का स्थान		निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम	
अधिकृत मोहर		निर्गत करने वाले अधिकारी का पदनाम	

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
प्रभारी सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/172–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0ए0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2017 ई0 (फाल्गुन 13, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

February 20, 2017

No. 146/III-A-12/09/SLSA--Sri Arun Vohra, Secretary, District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 30.01.2017 to 10.02.2017 with permission to prefix 29.01.2017 as Sunday holiday and suffix 11.02.2017 and 12.02.2017 as 2nd Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

February 20, 2017

No. 147/III-A-11/09/SLSA--Sri Abdul Qayyum, Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 23.01.2017 to 01.02.2017 with permission to prefix 22.01.2017 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

February 20, 2017

No. 149/III-A-05/09/SLSA--Sri Kuldeep Sharma, Secretary, District Legal Services Authority, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 05 days *w.e.f.* 19.01.2017 to 23.01.2017.

By Order of Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Member Secretary.

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

सितम्बर 19, 2016 ई0

सं0 F(9)-1/RG/UERC/2016/1424–उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 38) की धारा 181 सपठित धारा 39, 40, 42 एवं 86 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 (मुख्य विनियम) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016 होगा।

(2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 20 में :

(1) उप–विनियम 2 के प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"परन्तु जहाँ उन्मुक्त अभिगमन संविदाकृत भार तक अनुज्ञेय है वहाँ सन्निहित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता आयोग द्वारा अवधारित व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान निम्नलिखित तरीकों से करेगा।"

$$WC_{\text{Embedded consumer}} = WC - [FC*0.85*12*1000/365] \text{ (in Rs./MW/day)}$$

(2) मुख्य विनियम के तृतीय परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेंगे, अर्थात्:–

परन्तु जहां संविदाकृत भार से अधिक उन्मुक्त अभिगमन अनुज्ञेय है वहाँ आयोग द्वारा अवधारित अतिरिक्त भार हेतु व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान सन्निहित उन्मुक्त उपभोक्ता द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा:

$$W.C._{\text{For excess load allowed}} = (ARR–PPC–TC) /(PLSD X365)(Rs./MW/Day).$$

3. मुख्य विनियम के विनियम 26 में :

उपविनियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम जोड़े जायेगें, अर्थात्:–

3. *उन्मुक्त अधिगमन ग्राहक समय समय पर लागू भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, राज्य ग्रिड संहिता के तथा राज्य पारेषण कम्पनी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिये गये अनुदेशों के अधीन रहेगा।*

4. *उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक समय–समय पर संशोधित सी0ई0ए0 (ग्रिड से संयोजित हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 की अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेगा।*

5. *सन्निहित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता प्रत्येक टाइम ब्लॉक को इस प्रकार अनुसूचित करेगा कि सभी स्रोतों, जिसमें उन्मुक्त अभिगमन के और वितरण के स्रोत सम्मिलित हैं, से इसकी कुल अनुसूची और उसकी निकासी का योग, वितरण अनुज्ञापी के साथ इसके संविदाकृत भार से अधिक न हो:*

परन्तु, आगे यह कि दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन, स्वीकृत उन्मुक्त अभिगमन क्षमता की सीमा तक स्वीकृत भार से अधिक अनुज्ञेय हो सकेगा;

परन्तु, यह भी कि लघु अवधि और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन, स्वीकृत उन्मुक्त अभिगमन क्षमता की सीमा तक स्वीकृत भार से अधिक इस शर्त के अधीन अनुज्ञेय हो सकेगा कि वर्तमान उपभोक्ता बिंदु पर वोल्टेज प्रणाली, मीटरिंग प्रणाली इत्यादि में कोई परिवर्तन अपेक्षित न हो तथा ऐसे उन्मुक्त अभिगमन के कारण फलित ऊर्जा प्रवाह को ऊपर विनियम 11(2) के उपबंधो के अनुरूप वर्तमान/अपेक्षित पारेषण/वितरण नेटवर्क में संयोजित किया जा सकें।

6. *सन्निहित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता पर समय–समय पर लागू शुल्क के अनुसार ए0बी0टी0 मीटर में रिकॉर्ड की गयी अधिकतम माँग के आधार पर स्थिर प्रभार/माँग प्रभार उद्ग्रहित किये जायेंगे :*

परन्तु, यदि उन्मुक्त अभिगमन की स्वीकृति ऊपर उप–विनियम (5) के परन्तुक के सम्बन्ध में, संविदाकृत भार से अधिक अनुज्ञात की जाती है तो स्थिर प्रभार/माँग प्रभार के प्रभारित किये जाने में प्रयोजन हेतु अधिकतम मांग केवल वितरण अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई, अर्थात् शुल्क आदेश के उपबंधों के अनुसार संविदाकृत क्षमता तक के ही संबंध में ही होगी।

इस अधिकतम माँग का संगणन निम्नानुसार किया जायेगा:

$$\frac{\text{Total Maximum Demand Recorded X Energy Recorded as supplied by the distribution licensee}}{\text{Total Energy Recorded}}$$

7. *उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक और सन्निहित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता प्रत्येक दिन एस0एल0डी0सी0 और वितरण अनुज्ञापी के ऐसी निकासी इंजेक्शन के दिन पूर्ववर्ती दिन के सुबह दस बजे से पहले, लागू हुए अनुसार इंजेक्शन/निकासी अनुसूची प्रदान करेंगे।*

8. *वार्षिक अनुरक्षण आउटेज, अन्य अनुरक्षण आउटेज समय–समय पर लागू, राज्य ग्रिड संहिता के उपबंधो के अधीन होगा, जबरन आउटेज की सूचना, आउटेज के 30 मिनट के भीतर एस0एल0डी.सी0 और वितरण अनुज्ञापियों को भेजी जायेगी जिसमें अनुमानित आउटेज/सुधार का समय सम्मिलित किया जायेगा। आउटेज वाली यूनिट की बहाली, राज्य ग्रिड के साथ इसके मेल से कम से कम 30 मिनट पहले एस0एल0डी0सी0 को सूचित की जायेगी।*

4. मुख्य विनियम के विनियम 27 में :

उप–विनियम (2) के प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"परन्तु वितरण अनुज्ञापी उस तिथि से एक माह के भीतर इन मीटरों को संस्थापित करेगा जिस तिथि को उन्मुक्त अभिगमन द्वारा एक प्रति वितरण अनुज्ञापी को प्रेषित करते हुए नोडल एजेन्सी के पास पूर्ण उन्मुक्त अभिगमन आवेदन प्रस्तुत किया गया था"

5. मुख्य विनियम के विनियम 28 में :

(1) विनियम 28 में शीर्षक "पुनरीक्षण" के स्थान पर "अनुसूचित ऊर्जा और संविदा मांग का पुनरीक्षण" प्रतिस्थापित किया जायेगा

(2) उप–विनियम (1) में निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"(2) दीर्घ/मध्य/लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन का उपयोग कर रहे सन्निहित उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक की संविदा मांग का पुररीक्षण (कमी/वृद्धि) उविनिआ (नये एच0टी0/ई0एच0टी0 संयोजन का जारी करना, भार में वृद्धि और कमी) विनियम, 2008 के उपबंधों तथा इन विनियमों के अधीन जारी आदेशों द्वारा शासित होगा :

परन्तु लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन का उपयोग कर रहा एक उपभोक्ता, लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन के साथ अपनी संविदा माँग के पुनरीक्षण हेतु योग्य नहीं होगा किन्तु वह यहाँ ऊपर उल्लिखित विनियमों के अनुसार उन्मुक्त अभिगमन के लिए आवेदन करते समय संविदा मांग के पुनरीक्षण हेतु आवेदन कर सकेगा :

परन्तु आगे यह कि उन्मुक्त अभिगमन अवधि में सन्निहित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता द्वारा कुल निकासी, ऐसे उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक दिन हेतु गैर उन्मुक्त अभिगमन अवधि में कुल निकासी के 80 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

6. मुख्य विनियम के अध्याय 7 में:

अध्याय 7 का शीर्षक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:–

"विचलन व्यवस्थापन"

7. मुख्य विनियम 30 के विनियम में:

(1) मुख्य विनियम 30 में "असंतुलन प्रभार" शीर्षक के स्थान पर "विचलन प्रभार" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) खण्ड (ए) के उप–खण्ड (आई) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शब्दों शीर्षक के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(3) खण्ड (ए) के उप–खण्ड (आई0आई0) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शीर्षक के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(4) खण्ड (बी) के उप–खण्ड (आई0) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शीर्षक के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(5) खण्ड (बी) के उप–खण्ड (आई0आई0) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शीर्षक के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(6) खण्ड (बी) के उप–खण्ड (आई0आई0) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु ऊपर विनियम 26(5) के परंतुक के अनुसार अपने संविदाकृत माँग से अधिक उन्मुक्त अभिगमन के मामलों में ऊपर खण्ड (आई0) व (आई0आई0) में उल्लिखित अधिकतम भाग ऊपर विनियम 26(6) के परंतुक के अनुसार परिवर्तित अधिकतम माँग होगा।

(7) खण्ड (सी) के उप–खण्ड (आई0) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शीर्षक के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(8) खण्ड (सी) के उप–खण्ड (आई0आई0) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शब्दों के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(9) खण्ड (सी) के उप–खण्ड (आई0आई0आई0) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शब्दों के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(10) खण्ड (सी) के उप–खण्ड (आई0आई0आई0) के द्वितीय परंतुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु आगे यह कि इस विनियम (2) में आवृत्त उपरोक्त विचलन प्रभार एक अन्तरिम व्यवस्था है तथा यह राज्य में राज्यान्तर्गत ए0बी0टी0 तंत्र में प्रचालित होने तक लागू रहेगी, जिस के पश्चात् विचलन आयोग द्वारा जैसे ही और जब अधिसूचित किया जाये तब विचलन व्यवस्थापन और सम्बन्ध मामले, विनियम के अनुसार एस0एल0डी0सी0 द्वारा तैयार किये गये विचलन व्यवस्थापन एकाउंट के आधार पर व्यवस्थित किया जायेगा।"

8. मुख्य विनियम से विनियम 31 में:

परंतुक को निम्नलिखित द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु आगे यह कि राज्य में ए0बी0टी0 तंत्र प्रचालित हो जाने के पश्चात् रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार, राज्य ग्रिड संहिता और समय–समय पर आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार एस0एल0डी0सी0 द्वारा तैयार राज्य रिएक्टिव ऊर्जा एकाउंट के आधार पर व्यवस्थित किया जायेगें।"

आयोग के आदेश से
नीरज सती,
सचिव
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

कार्यालय पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड

प्रभार प्रमाण–पत्र

09 फरवरी, 2017 ई0

संख्या 3906/2–2–72/2017–प्रमाणित किया जाता है कि पर्यटन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 99/VI(1)/2017–01(12)/2012, दिनांक 07 फरवरी, 2017 के अधीन जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के क्रम में संयुक्त निदेशक, पर्यटन के पद पर वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600, कार्यभार, आज दिनांक 07 फरवरी, 2017 को अपरान्ह में ग्रहण कर लिया गया।

पूनम चंद,

मोचक अधिकारी।

प्रतिहस्ताक्षरित,

शैलेश बगौली,

निदेशक, पर्यटन, उत्तराखण्ड।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

06 जनवरी, 2017 ई0

पत्र संख्या 1142/सा0प्रशा0/नोटिस/2016–17–वाहन संख्या यू0के0 04टीए–2293 का चालान, दिनांक 01.08.2016 को प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी द्वारा वाहन में चालक सहित 14 सवारी बैठाने, 02 सवारी अलग से बाहर लटकी पाये जाने, वाहन को रोकने का इशारा दिये जाने पर वाहन को भगा ले जाने तथा वाहन का लगभग 02 कि0मी0 पीछा करने पर पकड़े जाने के अभियोग में किया गया एवं उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी ने वाहन चालक श्री सूर्यप्रकाश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निवासी ग्राम मेठी असवालस्यू, पो0 रोडखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0 1520060011453 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 772/डी0एल0/लाई0नोटिस/2016–17, दिनांक 03.10.2016, प्रेषित किया गया है। वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 06.01.2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए, भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0 1520060011453 को दिनांक 06.01.2017 से दिनांक 15.02.2017 तक (40 दिवसों) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

06 जनवरी, 2017 ई0

पत्र संख्या 1143/सा0प्रशा0/नोटिस/2016–17–वाहन संख्या यू0के0 12टीए–0078 का चालान, दिनांक 11.12.2016 को प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, लैन्सडौन, पौड़ी गढ़वाल ने वाहन में स्वीकृत 10 के सापेक्ष 13 सवारी बैठाने व परमिट शर्तों का उल्लंघन करने आदि के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमित्ता के कारण प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, लैन्सडौन, पौड़ी गढ़वाल ने वाहन चालक श्री जयमल सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह, निवासी ग्राम पठोला, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0 1520120016782 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने

हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 1097/सा0प्रशा0/लाइसेन्स–नोटिस/2016–17, दिनांक 15.12.2016, प्रेषित किया गया है। चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 06.01.2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए, भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0 1520120016782 को दिनांक 06.01.2017 से दिनांक 20.02.2017 तक (45 दिवसों) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

11 जनवरी, 2017 ई0

पत्र संख्या 1144/सा0प्रशा0/नोटिस/2016–17–वाहन संख्या यू0के0 12टीबी–0580 (ऑटोरिक्शा) का चालान, दिनांक 10.09.2016 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा वाहन में कुल 11 सवारी बैठाने, जिसमें 02 सवारी चालक कक्ष में बैठाने के अभियोग में किया गया एवं उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री रमेश सिंह नेगी पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी म0 नं0 190, ग्राम व पो0 पदमपुर मोटाढांक, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0 1520100004442 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 920/सा0प्रशा0/लाई0नोटिस/2016–17, दिनांक 05.11.2016, प्रेषित किया गया है। वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 11.01.2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए, भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0 1520100004442 को दिनांक 11.01.2017 से दिनांक 20.02.2017 तक (40 दिवसों) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

20 जनवरी, 2017 ई0

पत्र संख्या 1212/सा0प्रशा0/नोटिस/2016–17–वाहन संख्या यू0के0 07बी0आर0–3571 (स्कूटर) का चालान, दिनांक 19.07.2016 को एस0आई0, सिटी पेट्रोल यूनिट, देहरादून द्वारा मोबाइल का प्रयोग करते हुए, वाहन का संचालन किये जाने के अभियोग में किया गया एवं उक्त अनियमितता के लिए एस0आई0, सिटी पेट्रोल यूनिट, देहरादून ने वाहन चालक श्री वरूण कुमार पुत्र श्री सम्पूर्णानन्द, निवासी कोटानाली, तहसील लैन्सडौन, जनद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0 1520140030717 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 1106/सा0प्रशा0/लाई0नोटिस/2016–17, दिनांक 04.01.2017, प्रेषित किया गया है। वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 20.01.2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0 1520140030717 को दिनांक 20.01.2017 से दिनांक 19.04.2017 तक (90 दिवसों) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

रावत सिंह,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार, गढ़वाल।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

02 फरवरी, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), वाणिज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक/5760/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0/16–17/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन अधिसूचना संख्या 77/2017/XXVII–8/01(ए)(120)2001, दिनांक 31 जनवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड ईंट–भट्टा निर्माताओं द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत देय कर के विकल्प के रूप में धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सीजन वर्ष 2016–2017 के लिए ईंट–भट्टा समाधान योजना संबंधी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना सीजन वर्ष 2016–2017 के लिए ईंट भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संख्या 77/2017/XXVii–8/01(A)(120)/2001

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून दिनांक : 31 जनवरी, 2017 ई0

विषय–सीजन वर्ष 2016–17 के लिए ईंट–भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 966/2016/XXVii–8/01(A)(120)/2001, दिनांक 25 नवम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड ईंट–भट्टा निर्माताओं द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत देय कर के विकल्प के रूप में धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सीजन वर्ष 2016–17 के लिये ईंट–भट्टा समाधान योजना को संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से लागू करने का कष्ट करें।

उत्तराखण्ड ईंट–भट्टा निर्माताओं द्वारा, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विशिष्ट इंगित मदों के क्रय–विक्रय पर, देय मूल्यवर्धित कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में भट्टा सीजन वर्ष 2016–2017 हेतु शासन के निर्देशः–

(1) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड में ईंटों के निर्माताओं से उनके द्वारा वर्ष 2016–2017 (दिनांक 01–10–2016 से 30–09–2017 तक की अवधि में), जिसको आगे "सीजन वर्ष" कहा गया है, निर्मित ईंटों, ईंट–भट्टे में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, कोयला, लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के स्थान पर एकमुश्त धनराशि (जिसे आगे समाधान धनराशि कहा गया है) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है।

(2) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में उन ईंटों के निर्माता व्यापारियों, जिसमें ऐसे व्यापारी भी सम्मिलित हैं, जो ईंटों के निर्माण/बिक्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की खरीद/बिक्री का भी व्यापार करते हैं, द्वारा केवल अपने भट्टे से स्व–निर्मित ईंटों, ईंट के रोड़ों और ईंट–भट्टा में निर्मित टाइल्स तथा राबिस की बिक्री तथा ऐसी ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, कोयला, लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त सीजन वर्ष के लिये देय कर के विकल्प में समाधान राशि स्वीकार की जाएगी। अन्य वस्तुओं की खरीद/बिक्री पर विधि के अनुसार कर देय होगा, जो समाधान राशि के अतिरिक्त होगा।

(3) गत "सीजन वर्ष" (दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016) में जिन ईंट निर्माताओं ने विधि के अनुसार देय कर के विकल्प में शासन के निर्देश के अधीन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, उनमें से जिनके द्वारा सभी देय किस्तें, उन निर्देशों/शर्तों के अनुसार जमा नहीं की है, ऐसे ईंट निर्माता सीजन वर्ष 2016–17 (01–10–2016 से 30–09–2017 तक) के लिए इन निर्देशों के अधीन उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में विकल्प देने के अधिकारी नहीं होंगे, जब तक कि वे गत "सीजन वर्ष" के लिए कुल देय समाधान राशि, उस पर कुल देय ब्याज सहित जमा करने के प्रमाण–स्वरूप चालान अपने कर–निर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं कर देते।

(4) सीजन वर्ष 2016–17 के लिए समाधान राशि निम्नवत् होगी:–

भट्टे की श्रेणी	वर्ष 2016–17 के लिए समाधान राशि प्रति भट्टा
15 पाये तक	₹ 180000
16 पाये तक	₹ 206000
17 पाये तक	₹ 245000
18 पाये तक	₹ 290000
19 पाये तक	₹ 338000
20 पाये तक	₹ 389000
21 पाये तक	₹ 444000
22 पाये तक	₹ 523000
23 पाये तक	₹ 602000
24 पाये तक	₹ 679000
25 पाये तक	₹ 769000
26 पाये तक	₹ 857000
27 पाये तक	₹ 953000

भट्टे की श्रेणी	वर्ष 2016–17 के लिए समाधान राशि प्रति भट्टा
28 पाये तक	₹ 1049000
29 पाये तक	₹ 1147000
30 पाये तक	₹ 1253000
31 पाये तक	₹ 1356000
32 पाये तक	₹ 1466000
33 पाये तक	₹ 1565000
34 पाये तक	₹ 1673000
35 पाये तक	₹ 1783000
36 पाये तक	₹ 1885000
37 पाये तक	₹ 1990000
38 पाये तक	₹ 2098000
39 पाये तक	₹ 2202000
40 पाये तक	₹ 2304000

(5) स्पष्टीकरण :

(क) किसी भी भट्टे में पायों की संख्या, वह संख्या होगी, जो भट्टे की चौड़ाई में अन्दर की दीवार से बाहर की दीवार के बीच एक लाइन या रोंस में चट्टों की संख्या है किन्तु ऐसी किसी भी चट्टे की चौड़ाई भट्टे की चौड़ाई के समानान्तर एक ईंट की लम्बाई से अधिक नहीं है। यदि किसी पाये की ऐसी चौड़ाई एक ईंट की लम्बाई से कम है तब भी समाधान राशि गणना हेतु इसे पूरा पाया माना जाएगा।

(ख) यदि किसी व्यापारी के एक से अधिक भट्टे हैं अथवा कोई भट्टा उसने लीज पर लिया है तो उसके सभी भट्टों में से प्रत्येक भट्टे की श्रेणी उपरोक्तानुसार निर्धारित करते हुए अलग–अलग समाधान राशि ऊपर उल्लिखित दरों पर देय होगी।

(ग) यदि किसी भट्टे में एक ही समय में दो या अधिक स्थानों पर फुकाई करके उत्पादन किया जाता है तो समाधान धनराशि की गणना के प्रयोजनार्थ प्रत्येक फुकाई के स्थान को एक भट्टा मानते हुए उसकी श्रेणी के अनुसार उपरोक्त दरों से समाधान धनराशि देय होगी।

(घ) यदि प्रार्थी फर्म का विघटन हो जाता है तो नयी फर्म द्वारा देय समाधान राशि सभी संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार कर आयुक्त कर द्वारा स्वयं निश्चित की जायेगी। विघटन के पूर्व की निर्माता फर्म द्वारा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि प्रार्थी फर्म का विघटन के बिना पुनर्गठन किया जाता है, जिसके लिये नये पंजीयन की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे मामलों में पुनर्गठन के पूर्व व उसके बाद की इकाई एक ही इकाई मानी जायेगी तथा पूर्व में निर्धारित समाधान राशि पूरे वर्ष के लिये लागू रहेगी।

(6) इस योजना में समाधान राशि देने का विकल्प अपनाने के इच्छुक व्यापारी संलग्नक प्रारुप–1 में प्रार्थना–पत्र अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को भट्टा सीजन 2016–17 के सम्बन्ध में दिनांक 15.02.2017 तक प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ प्रारुप–2 में शपथ–पत्र भी संलग्न किया जायेगा। प्रार्थना–पत्र के साथ देय समाधान राशि की 20 प्रतिशत राशि जमा किये जाने का प्रमाण (सम्बन्धी चालान) भी संलग्न किया जायेगा। सामान्य रूप से प्रार्थना–पत्र देने की अवधि आयुक्त कर द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(7) यदि कोई ईंट निर्माता ऊपर निर्धारित समय से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत न कर सका हो तो वह ऊपर बिन्दु (6) के अनुसार अपना प्रार्थना–पत्र निर्धारित समाधान राशि के प्रमाण सहित एवं उक्त निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद हुई देरी के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जमा किये जाने के प्रमाण सहित, आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक, प्रस्तुत कर सकता है।

(8) धारा 7 की उपधारा (2) में विकल्प हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी कारणवश उसे वापस लेने का अधिकार किसी भी ईंट निर्माता का न होगा।

(9) इस योजना के अन्तर्गत देय समाधान राशि निम्नवत् जमा की जायेगी :–

क्र0 सं0	देय राशि	जमा की समय–सीमा भट्टा सीजन 2016–17 हेतु
1.	सामधान राशि का 20 प्रतिशत	प्रार्थना–पत्र के साथ (दिनांक 15.02.2017 तक)
2.	सामधान राशि का 16 प्रतिशत	दिनांक 26.02.2017 तक
3.	सामधान राशि का 16 प्रतिशत	दिनांक 31.03.2017 तक
4.	सामधान राशि का 16 प्रतिशत	दिनांक 30.04.2017 तक
5.	सामधान राशि का 16 प्रतिशत	दिनांक 31.05.2017 तक
6.	सामधान राशि का 16 प्रतिशत	दिनांक 30.06.2017 तक

(10) यदि ऊपर निर्धारित अवधि तक देय राशि जमा नहीं की जाती तब उक्त तिथि के बाद की ठीक अगली तिथि से राशि जमा करने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ईंट निर्माता के विरुद्ध देय समाधान राशि की बकाया राशि की वसूली माल गुजारी की बकाया की वसूली की भाँति भी की जायेगी और उसके विरुद्ध यथास्थिति अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकती है।

(11) यदि कोई ईंट निर्माता व्यापारी ऊपर प्रस्तर (6) या यथास्थिति प्रस्तर (7) में निर्धारित तिथि तक धारा 7 की उपधारा (2) में विकल्प हेतु उपरोक्तानुसार प्रार्थना–पत्र नहीं देते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह विधि के सामान्य प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण कराना, रिटर्न प्रस्तुत करना तथा कर का भुगतान करना चाहते हैं और तद्नुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(12) किसी ईंट निर्माता को यह विकल्प नहीं होगा कि वह सीजन वर्ष की आंशिक अवधि अथवा अपने कुल ईट भट्टों में से एक या कुछ भट्टों के सम्बन्ध में एकमुश्त समाधान राशि का विकल्प प्रस्तुत करे तथा शेष भट्टों के सम्बन्ध में सामान्य प्राविधान के अन्तर्गत मूल्यवर्धित कर जमा करें।

(13) यदि किसी नये ईंट निर्माता व्यापारी द्वारा नए खुदे भट्टे में पहली फुकाई "सीजन वर्ष" में दिनांक 01–04–2017 को या उसके बाद प्रारम्भ की जाती है तो ऐसे भट्टों में निर्मित ईंट, टाइल्स तथा ऐसी ईंटों के रोड़े और राबिस की उक्त "सीजन वर्ष" की शेष अवधि में की गयी बिक्री तथा उसी अवधि में ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, लकड़ी, कोयला और लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय कर के विकल्प में, देय एक मुश्त राशि ऊपर प्रस्तर (4) में देय समाधान राशि का 75 प्रतिशत ही होगी। सीजन वर्ष 2016–17 में दिनांक 31–03–2017 तक कभी भी फुकाई प्रारम्भ करने पर ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित समाधान राशि ही देय होगी। ऐसे ईंट निर्माता को अपना प्रार्थना–पत्र प्रारुप–1 में शपथ–पत्र/अनुबन्ध (प्रारुप–2) सहित फुकाई प्रारम्भ करने के 30 दिन के अन्दर अथवा दिनांक 15.02.2017 तक, जो भी बाद में पड़े, प्रस्तुत करना होगा। ऊपर प्रस्तर (5) के स्पष्टीकरण (घ) में इंगित, ऐसी फर्म जिसका विघटन धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड (ङ) (ii) के अन्तर्गत हो गया है, अपना प्रार्थना–पत्र प्रारुप–1 में तथा शपथ–पत्र/अनुबन्ध (प्रारुप–2) सहित आयुक्त, वाणिज्य कर को विघटन के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगी। सामान्य रूप से यह अवधि आयुक्त, वाणिज्य कर द्वारा बढ़ायी जा सकती है, लेकिन, उक्त अवधि के बाद हुई देरी के लिए निर्धारित दर से ब्याज जमा किये जाने के प्रमाण–पत्र सहित आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रार्थना–पत्र दिया जा सकेगा।

(14) ऊपर प्रस्तर (13) में इंगित नये ईंट निर्माता द्वारा देय एकमुश्त राशि (समाधान राशि) भी प्रस्तर (9) की व्यवस्था के अनुसार ही जमा की जायेगी।

(15) समाधान राशि का विकल्प देने वाले किसी ईंट निर्माता द्वारा अपने किसी भट्टे के पायों में वृद्धि की जाती है तो इसकी सूचना उन्हें अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को 30 दिन के अन्दर देनी होगी तथा ऐसे भट्टों के सम्बन्ध के बढ़े हुए पायों की संख्या के आधार पर "सीजन वर्ष" के लिए ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित एकमुश्त जमाराशि देय होगी।

(16) यदि वाणिज्य कर विभाग के किसी अधिकारी द्वारा भट्टे में पायों की संख्या ईंट निर्माता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में घोषित पायों की संख्या से अधिक पायी जाती है और ईंट निर्माता उस संख्या को स्वीकार करता है तब उसे भट्टे के सम्बन्ध में सीजन वर्ष के लिए अधिकारी द्वारा पाई गई संख्या के आधार पर समाधान राशि देय होगी।

(17) यदि ईंट निर्माता, अधिकारी द्वारा पाये गए पायों की संख्या को स्वीकार नहीं करता है तब सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन), वाणिज्य कर तत्काल अन्य किसी एक डिप्टी कमिश्नर अथवा दो असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा जाँच करवायेंगे और उक्त अधिकारी/अधिकारियों द्वारा भट्टे की जाँच के आधार पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन), वाणिज्य कर द्वारा निर्धारित पायों की संख्या, अन्तिम मानी जायेगी और तद्नुसार देय समाधान राशि निर्धारित होगी।

(18) ऊपर प्रस्तर (15), (16) तथा (17) के अनुसार यदि समाधान राशि पुनरीक्षित होती है तब प्रस्तर (4) अथवा यथास्थिति प्रस्तर (13) के अनुसार देय राशि भी पुनरीक्षित होगी और प्रत्येक किश्त से सम्बन्धित बकाया राशि पर उसके जमा किये जाने की तिथि के बाद की अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

(19) यदि सीजन वर्ष में किसी भट्टे के केवल स्थान में ही परिवर्तन किया जाता है किन्तु पायों की संख्या तथा ईंट निर्माता फर्म के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता तब उस सीजन वर्ष के लिए अन्यथा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(20) देर से फुकाई प्रारम्भ करने, प्रारम्भ ही न करने अथवा अन्य किसी कारण से प्रस्तर (4) अथवा प्रस्तर (13) में देय समाधान राशि में कोई कमी/परिवर्तन न होगा।

(21) प्रार्थना–पत्र तथा शपथ–पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ईंट–भट्टों आदि की जाँच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ईंट निर्माता व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि, जाँच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जाँच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग की स्थिति में प्रार्थना–पत्र तथा शपथ–पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जाएगा। साथ ही यदि कर निर्धारक प्राधिकारी उचित समझें तो प्रार्थना–पत्र अस्वीकार भी हो सकता है तथा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। विपरीत बिन्दु पर जवाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन), वाणिज्य कर का निर्णय अन्तिम होगा और कर निर्धारक प्राधिकारी तथा ईंट निर्माता द्वारा मान्य होगा।

(22) इस योजना के स्वीकार करने वाले, ईंट निर्माता व्यापारी कोई धनराशि वैट के रूप में ग्राहक से वसूल नहीं करेंगे। यदि वह वसूल करते हैं तो उनके द्वारा ऐसी धनराशि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 40 के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी और की गई ऐसी वसूली के लिए धारा 58 में कार्यवाही भी की जायेगी।

(23) सामधान योजना में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने वाले ईंट निर्माता व्यापारियों को ईंट निर्माण हेतु कोयला आयात करने के लिये समाधान राशि को ही कर मानते हुए, उसके आधार पर विक्रयधन का आँकलन करते हुए, ऐसे आंकलित विक्रय धन से निर्मित ईंटों की संख्या का अनुमान किया जायेगा और उसी के आधार पर कोयला आयात करने के लिये आयात घोषणा–पत्र तथा फार्म–"सी" सम्बन्धित ईंट निर्माता व्यापारी को नियमानुसार जारी किये जायेंगे।

(24) यदि अत्यधिक भीषण दैवी आपदा, जैसे अत्यधिक वर्षा के कारण किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से तबाही होती है, जिसमें योजना के अन्तर्गत समाधान कराने वाले ईंट निर्माता को भी क्षति होती है और ईंट निर्माता द्वारा प्रार्थना–पत्र दिया जाता है, तो आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा तुरन्त जाँच करायी जायेगी, ताकि तथ्यों का सत्यापन हो सके, तब शासन द्वारा अन्य व्यापारियों को दी जा रही सुविधा के साथ ऐसे ईंट निर्माता को भी सुविधा देने पर विचार किया जायेगा।

(25) उत्तराखण्ड ईंट निर्माता संघ एवं ईंट निर्माता जिला समितियाँ भी उन भट्टों के शपथ–पत्र की तसदीक कर सकेंगी, जिनके द्वारा समाधान योजना करने का विकल्प दिया जाए।

(26) सीजन वर्ष 2016–17 हेतु ईंट भट्टा निर्माताओं के लिए उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित योजना को बिना कारण बताये समाप्त करने अथवा निर्धारित समाधान धनराशि में वृद्धि अथवा कमी करने अथवा अन्य किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू होने की दशा में, वस्तु एवं सेवा कर लागू होने की तिथि के बाद ईंट भट्टों पर कर दायित्व वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित होगा।

(27) यह योजना दिनांक 30.09.2017 तक अथवा उस समय तक, जब तक कि राज्य सरकार योजना को समाप्त नहीं कर दे या वस्तु एवं सेवा कर लागू होने तक, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए लागू रहेगी।

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

विपिन चन्द्र,
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/172–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2017 ई0 (फाल्गुन 13, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैं बहादुर सिंह मेर पुत्र श्री डिकर सिंह मेर अपना नाम बहादुर सिंह मेर, परिवर्तित करके खुशाल सिंह मेर रख लिया हैं, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

खुशाल सिंह मेर पुत्र श्री डिकर सिंह मेर
निवासी ग्राम बैदीटाना, पोस्ट जलना
तहसील लमगडा अल्मोडा।

सूचना

I HEREBY declare that I Geetanjali Mall W/o Late Shri Shailendra Kumar Mall, R/o E-4 Saraswati Vihar, Adhoiwala, Raipur Road, Dehradun, Uttarakhand, have changed my name from Geeta Gurung & Smt. Geeta Shelly to Smt. Geetanjali Mall married on 20/02/1994, Vide Affidavit dated 17/12/2016 before notary Rajendra Singh Negi, Dehradun.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रार्थिनी
श्रीमती गीताजंली मल्ल
पत्नी स्व0 शैलेन्द्र कुमार मल्ल,
निवासी–ई0 4, सरस्वती विहार,
अधोईवाला रायपुर रोड,
जिला देहरादून

सूचना

मेरे पति स्वर्गीय श्री दर्शन सिंह नेगी के पेंशन अभिलेखों (पी0पी0ओ0) में मेरा नाम त्रुटि से मुन्नी नेगी दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम मुन्नी देवी है।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

मुन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री दर्शन सिंह नेगी
निवासी 112/3 विद्या विहार फेज–2, कारगी
रोड, कारगी देहरादून–248001

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/172–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।